संख्याः– 123 /33–3–2019–02/2016

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी
उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग – 3 **लखनऊ दिनांक– 15 जनवरी, 2019**

विषयः– 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के मार्ग–निर्देशों के क्रम में संशोधित मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017–18 के 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान हेतु पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एन0–11013/22/2015–एफ0डी0 दिनांक–17.07.2018, के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–68/2018/2640/ 33–3–2018–02/2016, दिनांक–08.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में परफार्मेंस ग्राण्ट के वितरण हेतु पुनः पात्र ग्राम पंचायतों से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आवेदन प्राप्त कर धनराशि वितरण हेतु मार्ग–निर्देश जारी किया गया था। परफार्मेंस ग्राण्ट हेतु निर्धारित मानकों पर मूल्यांकन के उपरान्त पाया गया कि वर्ष 17–18 मे अधिकांश ग्राम पंचायतों के खुले मे शौचमुक्त न होने के कारण निष्पादन अनुदान हेतु मात्राकृत धनराशि की अत्यन्त कम धनराशि वितरित हो पा रही थी। उक्त परिस्थति में भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2017–18 के निष्पादन अनुदान वितरण हेतु अंक प्रणाली के मानकों को शिथिल करने हेतु अनुरोध किया गया।

डा0 संजीब पटजोशी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एन0–11011/4/2017–एफ0डी0, दिनांक–02.01.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण पर सहमति देते हुए निर्णय लिया गया है कि निष्पादन अनुदान वर्ष 17–18 का वितरण केवल 2 मानक यथा ग्राम पंचायत के लेखों का संप्रेक्षण एवं स्वयं के स्रोतों से आय मे बृद्धि के आधार पर किया जायेगा। चयनित ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित बेसिक ग्राण्ट की अधिकतम 5 गुना की सीमा तक धनराशि आवंटित की जायेगी।

2. संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक–02.01.2019 के क्रम में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान वर्ष 2017–18 के चयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–68/2018/ 2640/33–3–2018–02/2016, दिनांक–08.08.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के अर्हताः हेतु निम्नवत् मानदण्ड निर्धारित किया जाता हैः–

I. ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायतों ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षो (वर्ष 2014–15 व 2015–16) से अधिक पुराने न हो।
II. ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के संशाधनों से राजस्व आय में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है (वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 की स्थिति)

Amit Sri.

शासनादेश संख्या 2760/33–3–2017–02/2016 दिनांक 12 फरवरी 2016 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में वित्त एवं लेखा सेवा के एक अधिकारी तथा जनपद के एक उप–जिलाधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त सदस्य के रुप मे नामित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा पूर्व मे प्राप्त आवेदनों से सम्बन्धित अभिलेखों का उपरोक्त मानको के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों की सूचना पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध प्रारुप में अंकित किया जायेगा। सूचना अंकित करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर पात्र ग्राम पंचायतों की सूची समिति के हस्ताक्षरोपरान्त जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर हार्डकॉपी एवं उसकी सॉफ्टकॉपी निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जनपदों से प्राप्त कराये गये ग्राम पंचायतों की सूची को संकलित कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार धनराशि वितरित कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये।

3. जनपद व राज्य स्तर पर निष्पादन अनुदान वर्ष 2017–18 की उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय–सारणी निम्नवत् हैः–

क्रम संख्या	विवरण	समय अवधि
1	जनपद समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के अभिलेखों का परीक्षण कर निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाना	दिनांक–16.01.2019 से 24.01.2019 तक
2	निदेशालय द्वारा जनपद से प्राप्त ग्राम पंचायतों की सूची संकलित कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना।	दिनांक–25.01.2019 से 29.01.2019 तक

अतः उपरोक्तानुसार निष्पादन अनुदान वर्ष 2017–18 हेतु संशोधित मानकों को पूर्ण करने वाली पात्र ग्राम पंचायतों की सूचना निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराने हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक– तद्दैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

Amit Sri.